गौमांस पर प्रतिबंध और मौलिक अधिकारों का हनन :

पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स

पी.यू.डी.आर.

जुलाई 2015

भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने 2014 के चुनाव पत्र में गौमांस पर प्रतिबंध और गौसंरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। इसी को अमल में लाते हुए, मार्च 2015 से महाराष्ट्र व हरियाणा में गौहत्या प्रतिबंधी कानूनों को पारित करने और उनमें संशोधन लाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके ठीक बाद भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 30 मार्च 2015 को मध्य प्रदेश में एक समारोह में कहा कि केंद्रीय सरकार देश भर में गौहत्या प्रतिबंध कानून को लागू करने की पूरी कोशिश करेगी। तब से गौमांस और गौहत्या पर प्रतिबंध का विषय लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। विश्व हिन्दू परिषद इस प्रतिबंध को देश भर में लागू करने की मांग कर रहा है, साथ ही अल्पसंख्यक मंत्रालय प्रमुख मुख्तार अब्बास नक़वी गौमांस खाने वालों को देश–निकाला दे रहे हैं, और अमित शाह कहते हैं कि यह भा.ज.पा. के लिए एक मूल मुद्दा है – इसे राष्ट्र भर में लागू करने के लिए बस 370 सीटें मिलने की देर है! कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी भी सामने आई हैं जिनसे लगता है कि शायद सरकार की नीति में कुछ परिवर्तन की संभावना है – गोवा में भा.ज.पा. सरकार के मुख्यमंत्री ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। गृह राज्य मंत्री रिजीजू ने कहा कि वे अरुणाचल से हैं, गौमांस का सेवन करते हैं उन्हें इससे नहीं रोका जा सकता और लोगों के तौर तरीकों को लेकर अतिसंवेदनशील नहीं होना चाहिए। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि देश व्यापी कानून लाने की कोई योजना नहीं है – गौमांस और गौहत्या पर कानून बनाने व लागू करने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे आश्वासनों की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लग जाता है जब हम इन्हीं मंत्रियों के इन वक्तव्यों को उनके अन्य वक्तव्यों से जोड़कर देखते हैं – जैसे रिजीजू का बाद में दिया गया कथन कि महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश जैसे हिन्दू बहुसंख्यक प्रदेशों में हिन्दुओं की मान्यताओं के हिसाब से कानून बनाए जा सकते हैं, या फिर गौमांस का सेवन करने वाले प्रदेशों के लोगों को हिन्दू संप्रदाय की संवेदनाओं की दी जा रही दुहाई। और तो और मध्य प्रदेश में एक युवा कांग्रेस नेता ने तो गायों की गणना और जन्म–मरण के पंजीकरण तक की मांग कर दी है! वक्तव्यों में यह अंतर सतही तौर पर है – इन सब की बातों में एक हिन्दुत्ववादी बहुसंख्यक नीति और विचारधारा साफ़ उभर कर आती है।

पर इन सब के बीच कुछ सवाल दब कर रह जाते हैं – जैसे कि क्या गौमांस का बहिष्कार सचमुच में एक सर्वसम्मत हिन्दू मान्यता है? इस कानून के संवैधानिक पहलू और आर्थिक व सामाजिक परिणाम क्या हैं? ये और कुछ अन्य मुद्दे समाज के अन्य तबकों ने उठाए भी हैं। इन प्रतिबंधों के लागू किए जाने के पश्चात कुछ ऐसी घटनाएँ भी घटी हैं जो ऐसे कानूनों के दुष्परिणामों की ओर संकेत करती हैं। लेकिन ये आवाज़ें राजनैतिक अफरातफरी में कहीं खो गयी हैं। पी.यू.डी.आर. की यह रिपोर्ट

गौसंरक्षण और गौमांस पर लगे प्रतिबंधों से जुड़े जटिल सवालों से जूझने की दिशा में एक छोटा कदम है।

2 मार्च 2015 को महाराष्ट्र ऐनिमल प्रिज़र्वेशन (अमेंडमेंट) बिल 1995 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। वैसे तो महाराष्ट्र में 1976 से ही गौहत्या पर पाबंदी है। नये संशोधित बिल में 'गौमांस' बेचने या रखने पर भी 10,000 रुपए के जुर्माने व अधिकतम पाँच साल की सज़ा का प्रावधान है। महाराष्ट्र ऐनिमल प्रिज़र्वेशन (अमेंडमेंट) बिल 1995 को स्वीकृति मिलने के कुछ ही दिन बाद 16 मार्च 2015 को हरियाणा सरकार ने विपक्षी दलों, इंडियन नेशनल लोक दल व कांग्रेस के समर्थन से हरियाणा विधान सभा में सर्वसम्मति से गौवंश संरक्षण व गौ संवर्धन बिल पारित किया। इस नए विधेयक के पास होने से हरियाणा में 'गौ' हत्या व 'गौमांस' की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई।

मई से महारष्ट्र में हो रही घटनाओं ने फिर गौमांस पर लगे प्रतिबंधों से जुड़े मुद्दों की ओर हमारा ध्यानाकर्षित किया। 13 मई को वर्ली और मुम्ब्रा में पुलिस ने 2 बूचड़खानों पर छापे मार कर उनके मुस्लिम मालिकों के खिलाफ एफ़.आई.आर. दर्ज़ की। पुलिस के अनुसार यह कार्यवाही इन इलाकों के कुछ हिन्दू नागरिकों, जो भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद के सदस्य हैं, की शिकायत पर की गई। पुलिस की कार्यवाही में देरी होने पर परिषद के सदस्यों ने सार्वजानिक रूप से नाराज़गी व्यक्त की थी।

पुलिस के मुताबिक यह कार्यवाही महाराष्ट्र में गौमांस के बेचने, खरीदने, खाने या रखने पर लगे कानूनी प्रतिबंध, और इस प्रतिबंध को मान्यता देते मुंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश के अंतर्गत की गई थी। 29 अप्रैल को मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र ऐनिमल प्रिज़र्वेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1995 की धारा 5 और 9 को रद्द करने हेतु याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया था। धारा 5 और 9 के अंतर्गत, महाराष्ट्र में मारे गए मवेशियों के अलावा, अन्य राज्यों से लाए गए गौमांस के साथ पकड़ा जाना भी दंडनीय अपराध है। उच्च न्यायालय के निर्णय से पहले 28 मार्च को मालेगांव में दो लोगों को दो बछड़ों की हत्या के जुर्म में महाराष्ट्र ऐनिमल प्रिज़र्वेशन (अमेंडमेंट) बिल, 1995 के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने सरकार की दलील, कि इस कानून की सफलता के लिए ये प्रावधान आवश्यक हैं, को स्वीकार करके प्रतिबंध को जायज़ करार दिया था। पर इसके साथ–साथ उच्च न्यायालय ने चेतावनी भी दी थी कि इस कानून को लागू करने में सरकार संयम से काम ले, व कम से कम कुछ समय के लिए सख्त रवैया ना अपनाए – क्योंकि सरकार की इस अधिनयम को लाने की जल्दबाज़ी के चलते मांस विक्रेताओं को प्रतिबंध से पहले माल निपटाने का अवसर नहीं मिला था। लेकिन हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद 9 मई को पुलिस ने मालेगांव–आगरा राजमार्ग पर ले

जाया जा रहा 450 किलो गौमांस ज़ब्त कर लिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि यह अवैध रूप से मारी गई गायों या बैलों का ताज़ा मांस है, और इसलिए उच्च न्यायालय की चेतावनी के तहत नहीं आता है। मांस परीक्षण के लिए भेजा गया है। मुंबई हाई कोर्ट की हिदायतों का इतनी आसानी से नज़रअंदाज़ किया जाना, लोगों का रवैया और पुलिस द्वारा दिखाई गई तत्परता, इस पशु संरक्षण अधिनियम के पीछे छिपी हुई राजनैतिक शक्तियों और इसके गंभीर सांप्रदायिक, और आर्थिक दुष्प्रभावों को साफ़ उजागर करता है।

ध्यान देने योग्य है कि गौहत्या पर कानूनी पाबंदी कोई नई बात नहीं है। बहुत से राज्यों में इस प्रकार के प्रतिबंध लंबे समय से मौजूद हैं – उदाहरण के लिए दिल्ली, आंध्र प्रदेश, व बिहार में गाय व बछड़ों का काटा जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। दिलचस्प बात यह है कि इन कानूनों में 'गौमांस' की परिभाषा एक समान नहीं है। प्रतिबंध का चरित्र भी अलग है। 1995 के महाराष्ट्र बिल में 'गौमांस' की परिभाषा का विस्तार किया गया है। 1976 के विधेयक के तहत प्रतिबंध, गाय की हत्या व गाय के मांस तक सीमित था। महाराष्ट्र ऐनिमल प्रिज़र्वेशन (अमेंडमेंट) बिल 1995 भैंस और बैल के मांस को भी 'गौमांस' की प्रतिबंधित श्रेणी में ले आया है, लेकिन मादा भैंसों की हत्या और मांस पर पाबन्दी नहीं है। गोवा, दमन व दीव प्रिवेंशन ऑफ काऊ स्लॉटर ऐक्ट 1978, व आंध्र प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ काऊ स्लॉटर एंड ऐनिमल प्रिज़र्वेशन ऐक्ट 1977 के तहत, गोवा व आंध्र प्रदेश में 'गाय' की परिभाषा में दुधारू गाय और गाय के पुरुष व मादा बछड़े आते हैं। कुछ राज्यों, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा व मध्य प्रदेश में 12 या 15 वर्ष से अधिक आयु के पशु या दूध व प्रजनन के लिए अयोग्य वयस्क भैसों व बैलों को 'फिट फॉर स्लॉटर' (हत्या योग्य) सर्टिफिकेट लेकर मारने की इजाज़त है। असम और बंगाल में 'फिट फॉर स्लॉटर' प्रमाणपत्र पेश करने पर केवल बैल, भैंस, भैंसा, बछड़े आदि की हत्या ही नहीं, गाय की हत्या की भी अनुमति है। मेघालय व नागालैंड में इससे सम्बंधित कोई कानून नहीं है।

इस बार गौहत्या के इन कानूनों में जो नई बात है वह है सज़ा व जुर्माने में की गई वृद्धि। पहले हरियाणा में गौहत्या के लिए अधिकतम सज़ा पाँच साल या पाँच हज़ार रुपए का जुर्माना, या दोनों थे। किन्तु नए बिल में न्यूनतम सज़ा तीन वर्ष का कठोर कारावास, जो कि दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, व 30,000 रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक जुर्माने, का प्रावधान है। गुजरात, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में गौहत्या के लिए अधिकतम 6 महीने के कारावास व 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। महाराष्ट्र ऐनिमल प्रिज़र्वेशन ऐक्ट (1976) में भी इसी प्रकार की सज़ा व जुर्माने का प्रावधान था, जो अब 5 से बढ़ाकर 10 साल कारावास कर दिया गया है।

यानी महाराष्ट्र में गौहत्या की सज़ा की अवधि अन्य संगीन अपराधों जैसे कि आपराधिक लापरवाही से होने वाली मौतों (2 वर्ष) या फिर बलात्कार (7 वर्ष), से अधिक भी है!

यह भी रेखांकित करने की ज़रूरत है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब व राजस्थान के गौमांस सम्बन्धी कानूनों में साक्ष्य का भार (यानि खुद को निर्दोष साबित करने की ज़िम्मेवारी) अभियुक्त पर है। मतलब सरकार व पुलिस को उसे दोषी साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के असाधारण प्रावधान के माध्यम से, प्रतिबंध संबंधी कानूनों के दुरुपयोग की पूरी गुंजाइश रखी गई है। साथ ही यह प्रावधान दर्शाता है कि गौहत्या रोकने को कितना महत्व दिया गया है। यह एक विडम्बना है कि बलात्कार के कुछ तरह के मामलों में कानून में साक्ष्य का भार अभियुक्त पर डालने के लिए महिला आन्दोलन को एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा, जबकि गौहत्या कानूनों में इस तरह के प्रावधान पहले ही मौजूद हैं!

गाय, बछड़ों और अन्य दूध व भारवाही (भार ढोने वाले) जानवरों को मारने पर पाबंदी को संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों (डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट पालिसी) में स्थान दिया गया है। संविधान–सभा में हुए वाद–विवाद इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस प्रकार गौसंरक्षण को मौलिक अधिकार के अनुभाग में (जीवन के अधिकार के अंतर्गत) शामिल करने का पूरा प्रयास किया गया था। अम्बेडकर और कुछ अन्य सदस्यों के विरोध के चलते गौसंरक्षण को मूल अधिकारों में जगह नहीं मिल पाई। लेकिन विरोध के बावजूद, समझौते के तौर पर इसे नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 48 में जगह दी गई। संविधान समिति के उच्च जातीय चरित्र की छाप इस प्रावधान में साफ़ नज़र आती है। गौहत्या पर पूर्ण पाबंदी को संवैधानिक गारन्टी नहीं मिलने पर, कई राज्यों ने अन्य कानूनों द्वारा गौहत्या का अपराधीकरण कर, इसका विकल्प ढूँढ निकाला!

अगर हम अनुच्छेद 48 को गौर से पढ़ें तो इसमें अंतर्निहित विरोधाभास साफ़ दिखाई देता है। एक तरफ तो अनुच्छेद 48 "आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज़ पर पशुपालन को बढ़ावा देने" व उनकी "नस्ल संरक्षण व सुधार" की बात करता है, पर दूसरी ओर "गाय, बछड़े व अन्य दुधारू और भारवाही पशुओं'' की हत्या पर रोक भी लगाता है। गौहत्या पर प्रतिबन्ध इस "आधुनिक" पशुपालन के लक्ष्य के आड़े आता है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बूढ़ी, बीमार गायों को मारना, पशुपालन और नस्ल सुधार का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा देने के नीति निर्देश को लेकर चलें तो गौवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध संवैधानिक रूप से जायज़ नहीं है। परन्तु प्रतिबन्ध के रहते अनुच्छेद 48 में विज्ञान तथा आधुनिकता की ओर किया गया

संकेत, एक साम्प्रदायिक और जातिवादी सोच को ढापने के लिए सिर्फ एक जामा ही रह जाता है।

इस पाबंदी का संविधान में होना और देश की स्वतंत्रता के कुछ ही वर्षों के भीतर कई राज्यों में गौहत्या व गौमांस पर पाबंदी लगाते हुए कानूनों का लाया जाना, भारतीय संस्कृति की एक गहरी बहुसंख्यक विचारधारा का सूचक है। गाय को दिया गया विशेष स्थान भारत में धर्मनिरपेक्षता व सभी धर्मों को बराबरी का दर्ज़ा दिए जाने के सिद्धांतों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह समझ कि सभी हिन्दू गौहत्या और गौमांस के सेवन के खिलाफ हैं, या हिन्दू संस्कृति और परंपरा ने हमेशा गौमांस को अपरिहार्य माना है एक विवादस्पद सोच है। ऐसा भी नहीं है कि सभी शाकाहारी गौमांस पर प्रतिबंध मांग रहे हैं। यह सही है कि हिन्दुओं में कुछ जाति और समुदाय गाय को पूज्य और गौहत्या को निकृष्ट मानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि यह मत, आज या पहले के दौर में, भारत में रह रहे सभी हिन्दू समुदायों और जातियों का नहीं रहा है। प्राचीन और समकालीन दोनों समय में विविध समुदाय गौमांस का सेवन करते आये हैं – जिसमें बड़ी तादाद में हिन्दू भी शामिल हैं।

एक विशेषाधिकृत और शक्तिशाली समूह द्वारा बाकी नागरिकों पर अपनी आहार वरीयता थोपने के दृष्टिकोण से हटकर भी यह प्रतिबंध कई प्रश्न खड़े करता है। मांस उत्पादन उद्योग (पारंपरिक व आधुनिक) लाखों भारतीयों की आजीविका का ज़रिया है। भारत मांस उत्पादन में 6.3 मिलियन टन के साथ विश्व में पाँचवें स्थान पर है जिसमें गौजातीय (गाय, बैल, भैंस) मांस का हिस्सा 62 प्रतिशत यानी 3.9 मिलियन टन है, जिसमें से तकरीबन आधे से कम का निर्यात किया जाता है। बाकी का मांस लाखों भारतीयों की आहार ज़रूरतों को पूरा करता है। यह गौर करने लायक है कि मांस उत्पादन और सम्बंधित उद्योगों जैसे खाल, हड्डियों आदि में लगे लोगों में पचास प्रतिशत से अधिक हिन्दू हैं। इनमें से बहुत से गौमांस खाते भी हैं। इस प्रकार हिन्दुओं के एक सीमित लेकिन बेहद प्रभावशाली वर्ग की संतुष्टि के लिए गौहत्या पर प्रतिबंध लगा कर, लाखों भारतीयों की आजीविका और इसके साथ जुड़े जीवन के मौलिक अधिकार को खतरे में डाल दिया गया है। साथ ही इससे विभिन्न सम्प्रदायों के हज़ारों–लाखों भारतीयों के आहार से सस्ते प्रोटीन का स्रोत भी खत्म हो गया है।

इस प्रतिबंध से कई और तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं जैसे कि गरीब किसानों के लिए वृद्ध गायों, मवेशियों की देखभाल, चारे इत्यादि के खर्च की समस्या और वह भी ऐसी स्थिति में जहाँ चारे के दाम भी बढ़ रहे हैं। प्रतिबंध की वजह से वे अब बूढ़े, बीमार जानवरों को वधशाला या बूचड़खाने को बेच कर, खेती या दूध देने योग्य या फिर प्रजनन के लिए, नये मवेशी नहीं खरीद पायेंगे, जैसा कि वे अब तक

करते आए थे। इस तरह प्रतिबंध का सीधा प्रभाव आजीविका पर पड़ा है। वे भी ऐसे हालात में जहाँ किसान पहले से ही काफ़ी त्रस्त हैं।

यह कानून प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशु व्यापार और सम्बंधित उद्योगों, जैसे चमड़े, जिलेटिन, पशु वसा (ऐनिमल फैट) और साबुन उद्योग, फार्मासुएटिकल व मांस निर्यात आदि से जुड़े अनेकों परिवारों की जीविका पर गंभीर प्रभाव डालता है। महाराष्ट्र से ही आ रही कुछ प्रतिक्रियाएं इन समस्याओं को साफ़ दर्शाती हैं – किसान संगठनों ने वृद्ध मवेशियों को सड़क इत्यादि पर छोड़ देने की सार्वजनिक घोषणा कर दी है। मालेगांव में इस संशोधन व गिरफ्तारियों से प्रभावित गौमांस व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर के गौसंरक्षण में लगी है लेकिन उसे हज़ारों लोगों की जीविका की कोई फिक्र नहीं है!

हरियाणा और महाराष्ट्र सरकारों ने जिस प्रकार गौहत्या प्रतिबंध को झटपट लागू किया है, उससे बहुसंख्यक वर्ग के एजेंडे को पुरज़ोर बढ़ावा मिला है। जबकि राज्यों में गौहत्या पर रोक लगाने वाले ज़्यादातर कानून कांग्रेस सरकारों द्वारा पारित किये गए थे, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ संबधित कट्टरपंथी हिन्दू संगठनों द्वारा गौहत्या पर अखिल भारतीय प्रतिबंध व गौहत्या के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग, ज़ोर पकड़ रही है। यह प्रतिबंध कट्टरपंथियों के लिए छापे मारने, गिरफ्तारियाँ करवाने और अल्पसंख्यक – खासतौर पर मुसलमानों, दलितों, अनुसूचित जातियों के खिलाफ संगठित हिंसा करने के दरवाज़े खोलता है। ये कानून पशुओं को बेचने, निर्यात, या इनसे जुड़े काम से निर्वाह कर रहे लोगों को परेशान करने की कानूनी मंजूरी प्रदान कर, इन असामाजिक प्रवृत्तियों को और प्रबल बनाते हैं। हरियाणा का कानून गौमांस ढो रहे ड्राइवरों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही और उनके वाहनों को ज़ब्त करने का निर्देश भी देता है। 2003 दुलीना (झझर ज़िला) में दलितों की हत्या (जिस पर पी.यू.डी.आर. ने अपनी जांच रिपोर्ट 'झझर में दलितों की हत्या : हरियाणा में गौरक्षा की राजनीति' भी प्रकाशित की थी), गौसंरक्षण को लेकर सामाजिक तनावों व पारंपरिक रूप से चमड़ा और मांस व्यवसायों से जुड़ी जातियों की असुरक्षा का भयानक उदाहरण है।

इसमें कोई असहमति नहीं है कि जानवरों के खिलाफ क्रूरता, पशु आश्रयों की कमी, बूचड़खानों में साफ़–सफाई की स्थिति, प्रभावी अपशिष्ट निपटान जैसे विषयों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इनका समाधान गौहत्या और गौमांस के व्यापार और सेवन पर प्रतिबंध और इनका अपराधीकरण नहीं है। इस प्रतिबंध के सामने आते दुष्परिणाम एक चेतावनी हैं कि किस प्रकार कोई मुद्दा बिना किसी तार्किक बहस या विमर्श के हमारे सामने परोसा जा सकता है।

इस प्रतिबंध को भी हाल के साहित्य, शोध व फिल्मों पर लगाये गए प्रतिबंधों की तरह हिंदुत्ववादी उभार व प्रभुत्व के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। राज्य कुछ खाद्य पदार्थों को वर्जित घोषित कर, कुछ चुनी हुई जीवन–पद्धतियों पर अंकुश लगा रहा है। गौमांस पर लगी पाबंदी अपनी पसंद के आहार लेने की व्यक्तिगत आज़ादी पर हमला है, धार्मिक अल्पसंख्यों के ऊपर ही नहीं, पर उन अनेकों हिन्दुओं पर भी जिनके नाम पर इसे लागू किया जा रहा है। भारतीयता को लेकर राज्य की संकीर्ण और चयनात्मक समझ इसमें स्पष्ट झलकती है।

गौमांस प्रतिबंध जीवन और जीविका के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध एक गहरा प्रहार है। यह प्रतिबंध भारतीय संविधान के बहुसंख्यक और हिन्दू उच्च जाति की तरफ झुकाव को और पुख्ता करके, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रहा है और हमारे समाज की विविध वास्तविकताओं को नकार रहा है। गौमांस और गौहत्या प्रतिबंध से सम्बंधित इन सभी आयामों के सन्दर्भ में पी.यू.डी.आर. गौमांस पर लगे प्रतिबंध की कड़ी निंदा करता है और इन गौमांस प्रतिबंधी कानूनों को रद्द करने की पुरज़ोर मांग करता है।

प्रकाशक : सचिव, पीपल्स यूनियन फ़ॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (पी.यू.डी.आर.)
प्रतियों के लिए : डॉ. मौशमी बासु, ए – 6/1, अदिति अपार्टमेंट्स, पॉकेट डी, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058
सहयोग राशि : 5 रुपये
ई मेल : pudrdelhi@yahoo.com
वेबसाइट : www.pudr.org